न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 34/2020

रमेशचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति छीपा निवासी कोटारोड मेन बस स्टेण्ड सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

प्रार्थी

♠ बनाम ♠

01. मोहनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति छीपा निवासी छीपा मोहल्ला लक्ष्मीनाथजी के मंदिर के पास सीसवाली तहसील मांगरोल
02. जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति छीपा निवासी छीपा मोहल्ला निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 27.10.2020

निर्णय दिनांक : 14.03.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी कम 1 के कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 804 में खसरा नं. 3642 रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 3643 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 3645 रकबा 2.11 है0, खसरा नं. 3685 रकबा 0.65 है0, ,खसरा नं. 3686 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 3687 रकबा 0.26 है0 व खसरा नं. 3691 रकबा 0.52 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.85 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसके प्रतिपक्षी कम 1 तनहा रिकार्डेड खातेदार है। इसी प्रकार शामलाती खाता संख्या 74 खसरा नं. 2633 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 2634 रकवा 0.06 है0, खसरा नं. 2635 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 2636 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 2637 रकवा 0.11 है0, खसरा नं. 2638 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 2661 रकबा 0.06 है0, खसरा 2662 रकवा 0.04 है0, खसरा नं. 2665 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 2666 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 2667 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 2668 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 2669 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 2670 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 5035 रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 5249 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 5252 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. खसरा नं. 5253 रकबा 1.48 है0, खसरा 5260 रकबा 0.55 है0, खसरा नं. 5261 रकबा 0.05 है0, कुल किता 20 कुल रकवा 4.29 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें प्रतिपक्षी कम 1 का 1/2 हिस्सा है। यह कि खाता संख्या 9 खसरा नं. 646 रकबा 4.38 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें प्रतिपक्षी कम 1 का 1/2 हिस्सा निहीत है। यह कि मद नं. 2 व 3 में वर्णित 1/2 हिस्सा आराजी के अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया जा रहा है क्योकि प्रार्थी उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नही चाहता है। प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

मोहनलाल

↓

↓	↓	↓	↓	↓	↓
गीता बाई(पुत्री)	गायत्रीबाइ(पुत्री)	जगदीश पुत्र(प्रति. 2)	रमेशचंद्र(पुत्र प्रार्थी)	मंजूबाई (पुत्री)	रेखा कुमारी(पुत्री)

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारॉ (राज0)

Scanned with CamScanner

यह कि प्रतिपक्षी कम 2 ने बलपूर्वक प्रतिपक्षी कम 1 को अपने पास रोक रखा है तथा प्रतिपक्षी कम 2 प्रतिपक्षी कम 1 पर आराजी अपने पक्ष मे बेचने का दवाब बना रहा है। इसके अलावा अपने पक्ष में प्रतिपक्षी कम 1 से दस्तावेज लिखवाना चाहता है जिससे प्रतिपक्षी कम 1 की मृत्यु के पश्चात प्रतिपक्षी कम 2 उक्त दस्तावेज के आधार पर ज्यादा आराजी ले सके और अन्य भाई बहिनों को उनके हको से वंचित कर सके। यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को प्रतिपक्षी कम 1 से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। प्रतिपक्षी कम 2 ने प्रतिपक्षी कम 1 पर संपूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया है। इस कारण प्रतिपक्षी कम 1 की मानसिक स्थिति भी ठीक नही है। वह अच्छी तरह से सोचने समझने की स्थिति में नही है। इसी का फायदा उठाते हुए प्रतिपक्षी कम 2 प्रतिपक्षी कम 1 से प्रार्थना पत्र के मद नं. 2, 3 व 4 में वर्णित आराजी को अपने पक्ष में बेचान कराना चाहता है। यह कि पारिवारिक सजरे से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी कम 1 के दो पुत्र व 4 पुत्रियां है तथा प्रतिपक्षी कम 1 स्वयं है। इस प्रकार प्रतिपक्षी कम 1 उपरोक्त वर्णित आराजी में सभी पुत्र पुत्रियों का 1/7 हिस्सा बनता है । यह कि प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है, अभी तक अप्रार्थी कम 1 की संपूर्ण आराजी को प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा था। शेष तथ्य दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जायेगे। अतः ताफैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय से प्रसारित की जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 मे वर्णित खाता संख्या 804 किता 7 रकबा 4.85 है0, मद नं. 3 में वर्णित खाता संख्या 74 किता 20 रकबा 4.29 है0 का 1/2 हिस्सा एवं मद नं. 4 में वर्णित खाता संख्या 9 किता 1 रकबा 4.38 है0 का 1/2 हिस्सा आराजी को खुर्द बुर्द न करे, रहन बेचान एवं हस्तान्तरण अप्रार्थी कम 1 न करे। अप्रार्थी कम 2 इस कार्य में सहयोग नही करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से एक पक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकार ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात में किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजियात में रिकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा उक्त विवादित आराजियात को पैतृक संपत्ति होने के संबंध में अस्वीकार्यता व्यक्त नही की गई है। हालांकि अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजियात मे रिकोर्डेड खातेदार है, परंतु प्रार्थी के विवदित आराजियात (पैतृक संपत्ति) में हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी के विवदित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। प्रार्थी के पैतृक संपत्ति में हक–हिस्से/अधिकारों एवं अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी होने के कारण यदि विवादित आराजियात का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थी जो कि अप्रार्थी कम 1 का विधिक वारिस है, को अपने

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारॉ (राज०)

Scanned with CamScanner

हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, एक पक्षीय बहस वकील एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी कम 1 उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 804, खाता संख्या 74, एवं खाता संख्या 9 में प्रार्थी के हक हिस्से को रहन बेचान न करे, ना ही अन्य प्रकार से स्थानांतरित करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner